न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 28/2018 (उदयपुर डिक्री)

नारायणलाल पिता डालू जी डांगी, निवासी रूपसागर, आयड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. पृथ्वीराज पिता मेघा जी डांगी, निवासी रूपसागर, आयड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. केशुलाल पिता मेघा जी डांगी, निवासी रूपसागर, आयड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. भेरूलाल पिता मेघा जी डांगी, निवासी रूपसागर, आयड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. शान्तिलाल पिता मेघा जी डांगी, निवासी रूपसागर, आयड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती जशोदा पुत्री नवला जी डांगी पत्नी प्रेम जी डांगी, निवासी वेसा मगरी, कलडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री नवला जी डांगी पत्नी जेता जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. शंकर पिता नवला जी डांगी, निवासी रूपसागर, आयड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती मोहनी पुत्री नवला जी डांगी पत्नी माना जी डांगी, निवासी कलडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री नवला जी डांगी पत्नी डूंगा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती जमकु पुत्री नवला जी डांगी पत्नी जेतराम जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती धुली पुत्री डालू जी डांगी, निवासी रूपसागर, आयड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰ – 1[illegible] विरुद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक 09.10.2017 प्रकरण संख्या 129/2011

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:35 IST
Reason: SelfAttested

<u>उपस्थित</u> :— 1— श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्ट

2— श्री सुरेश द्विवेदी अभिभाषक रे.सं. 1 से 4

3— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 21—08—2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट 5 से 10 के पिता नवला डांगी ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की आराजी नंबर 776 रकबा 0.0600 हैक्टर एवं आराजी नंबर 779 रकबा 0.1400 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.2000 हैक्टर भूमि मौजा आयड में स्थित है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 + 150/1400 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 4 का 1/3 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 5 का 83/1400 हिस्सा होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। पक्षकारान मौके पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य वाद पत्र की कलम संख्या 1 में दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08—01—2015 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 09—10—2017 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22—02—2018 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश द्विवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट [illegible] के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्रामीण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:35 IST
Reason: SelfAttested

एवं निरक्षर होने से कानून का ज्ञान नहीं होने से निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं कर सका। दिनांक 06–02–2018 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि तहसीलदार द्वारा जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है, उस रिपोर्ट में आराजी नंबर 779 में से 0.0465 हैक्टर भूमि तथा आराजी नंबर 776 में से 0.0150 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के हिस्से में रखी गयी है। इस प्रकार कथित बंटवारे अनुसार अपीलान्ट के हिस्से में आराजी नंबर 779/2 एवं 776 मीन रखे गये हैं, जबकि अपीलान्ट का आराजी नंबर 779 रकबा 0.1400 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा अर्थात 0.0466 रकबा बनता है। इसके अलावा अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के बीच पूर्व प्रकरण संख्या 242/2002 में पारित निर्णय व डिक्री अनुसार अपीलान्ट के खातेदारी में आराजी नंबर 778 रकबा 0.0150 हैक्टर भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के हिस्से में रखी गयी है तथा आराजी नंबर 779 में से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के हिस्से की 0.0150 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के हिस्से में रखी गयी है इस प्रकार अपीलान्ट का आराजी नंबर 779 में रकबा 0.0466 + 0.0150 कुल 0.0616 हैक्टर बनता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री निरस्त की जावे तथा बंटवारा रिपोर्ट अनुसार बनाये गये आराजी नंबर 779/2 में कुल 0.0466 भूमि दर्ज करने का आदेश दिया जाकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम कथित पांती बंटवारे में दर्ज आराजी नंबर 779/1 में से 0.0150 हैक्टर भूमि कम किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:35 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि अधिनस्थ न्यायालय ने बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ही प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संलग्न फर्द बंटवारे अनुसार ही अंतिम डिक्री जारी की गयी है एवं सभी पक्षकारान का समान हिस्सा रखा गया है। अपीलान्ट का यह कथन कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के बीच पूर्व प्रकरण संख्या 242/2002 में पारित निर्णय व डिक्री अनुसार अपीलान्ट के खातेदारी में आराजी नंबर 778 रकबा 0.0150 हैक्टर भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के हिस्से में रखी गयी है तथा आराजी नंबर 779 में से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के हिस्से की 0.0150 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के हिस्से में रखी गयी है। इस प्रकार अपीलान्ट का आराजी नंबर 779 में रकबा 0.0466 + 0.0150 कुल 0.0616 हैक्टर बनता है, किन्तु इस बाबत् कोई साक्ष्य उनके ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त फर्द बंटवारे की आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 09–10–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:35 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

नारायणलाल पिता डालू जी डांगी, नि0 रूपसागर, आयड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

पृथ्वीराज पिता मेघा जी डांगी, नि0 रूपसागर, आयड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं......28/2018...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....गिर्वा........... मुकाम................मुवर्खे.............09.............माह.............10............2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........21....माह........08....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.....श्री तुलसीराम डांगी.....मिनजानिब अपीलान्ट व......श्री सुरेश द्विवेदी

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 09–10–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......21.......माह.......08..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:35 IST
Reason: SelfAttested